



अविप्र



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अविप्र

भवन मानचित्र समिति 01/2021 की बैठक दिनांक 13.08.2021 का बैठक कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति की 1/2021 वीं बैठक दिनांक 13.08.2021 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दोपहर 12.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगणों व अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :-

1. श्री किशोर कुमार, सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण
2. श्री अशोक चौधरी, उपायुक्त उत्तर, अजमेर विकास प्राधिकरण
3. श्रीमति सुनीता यादव, उपायुक्त दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण
4. श्री पुनीत शर्मा, निदेशक आयोजना, अजमेर विकास प्राधिकरण
5. हजारी राम सिरवी, निदेशक विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण
6. सुश्री मीनाक्षी वर्मा, उप नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण
7. अंकित गोयल, सहायक नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण

सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक के एजेण्डा की जानकारी उपलब्ध करवायी गयी। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त पत्रावलियों से संबंधित 2 एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया जो की निम्न प्रकार से है :-

प्रस्ताव संख्या:-1

क्र.स.	विषय	विवरण
1	दीपीसी (लोपी) संख्या	
2	दिनांक	
3	जोन	
4	प्रस्ताव संख्या	

प्रयोजन : आवासीय (अफोर्डेबल हाउसिंग)

1.	प्रस्ताव एवं विवरण	राजस्व ग्राम दौराई के खसरा नं. 320 मिन, 322, 324, 325, 326, 328, 329 व 331/3 के आवासीय ग्रुप हाउसिंग एवं फ्लेट प्रयोजनार्थ प्रस्तुत मानचित्रों में नवीनकरण वावत्
2.	आवेदक का नाम व पता	गोल्डलाईन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
3.	वास्तुविद् का नाम	श्री राजेश चन्दिरामानी
4.	वास्तुविद् का पंजीयन क्रमांक	CA/98/23656
5.	भूखण्ड सं./योजना	राजस्व ग्राम दौराई के खसरा नं. 320 मिन, 322, 324, 325, 326, 328, 329 व 331/3

पूर्व में राजस्व ग्राम दौराई के खसरा नं. 320 मिन, 322, 324, 325, 326, 328, 329 व 331/3 के ले-आउट प्लान अफोर्डेबल हाउसिंग पोलिसी 2009 मॉडल नं. 2 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 14.07.2010 के निर्णय अनुसार, भू-उपयोग परिवर्तन समिति की न्यास स्तरीय बैठक दिनांक 20.04.2011 के निर्णय एवं राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.3(1220)नवि/3/11 दिनांक 18.05.2011 के द्वारा दी गयी स्वीकृति की अनुपालना में क्षेत्रफल 38030.12 व.मी. का ले-आउट प्लान/साईट प्लान स्वीकृत किया गया, जिसमें कि ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी. हेतु 12422.32 व.मी., एम.आई.जी. 4713.33 व.मी. तथा ग्रुप हाउसिंग 13602.43 व.मी. व्यवसायिक हेतु 667.64 व.मी. क्षेत्रफल स्वीकृत किया गया। भवन मानचित्रों का अनुमोदन तत्कालीन नगर सुधार न्यास समिति की बैठक में अनुमोदित किया जा कर दिनांक 02.08.2011 को न्यास की स्वीकृति पत्र क्रमांक न्यास/प.3/10/1736-38 दिनांक 02.08.2014 के माध्यम से जारी की गयी



अविप्रा



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



थी। वर्तमान में मौके पर इस प्रोजेक्ट के डवलपर्स पार्ट के 3 ब्लॉक एवं अन्य भाग के सभी भवनों का निर्माण अधिकांशतः पूर्ण हो चुका है।

आवेदक द्वारा दिनांक 19.06.2014 को ग्रुप हाउसिंग एवं व्यावसायिक भू-भाग के मानचित्रों में संशोधन के अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र मय मानचित्र अजमेर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किये। उक्त के क्रम में कार्यालय के पत्र क्रमांक अविप्रा/नियोजन शाखा/प.3/16/338 दिनांक 27.07.2016 एवं पत्र क्रमांक अविप्रा/नियोजन/प.3/2021/686 दिनांक 26.03.2021 के अनुसार आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्र कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने थे जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र मय मानचित्र दिनांक 02.08.2021 प्रस्तुत किये गये हैं जिसका तकनीकी विश्लेषण निम्नानुसार है:-

6.	ले आउट विवरण (पूर्व में स्वीकृत ले आउट प्लान का विवरण)		
	प्रस्तावित	क्षेत्रफल	
	ग्रुप हाउसिंग	13602.43 व.मी.	
	व्यवसायिक (लोकल शॉप)	667.61 व.मी.	
	एम.आइ.जी ए	4713.33 व.मी.	
	ई.डब्ल्यू.एस व एल.आई.जी	12422.32 व.मी.	
	सड़क 18 मीटर	4251.60 व.मी.	
	सड़क 9 मीटर	718.47 व.मी. + 545.49 व.मी.	
	समर्पित क्षेत्र	206.86 व.मी. + 125.7 व.मी + 246.15 व.मी. + 394.2 व.मी. + 135.57 व.मी.	
	पैरामीटर	स्वीकृत मानचित्र अनुसार	संशोधित मानचित्र अनुसार
7.	ब्लॉक ए		
	भू-आच्छादन	1598.23 व.मी.	1625.18 व.मी.
	ऊँचाई (प्रस्तावित मंजिलों की संख्या)	26.50 मी. (8 मंजिलें)	26.60 मी (8 मंजिलें)
	बी.ए.आर	11335.92 व.मी.(एफ.ए.आर)	14813.68 व.मी.
	कुल फ्लैट्स	31 फ्लैट्स प्रति मंजिल (1 बी.एच. के)	184 फ्लैट्स(1 व 3बी.एच.के)
8.	ब्लॉक बी		
	भू-आच्छादन	1069.39 व.मी.	1007.86 व.मी.
	ऊँचाई (प्रस्तावित मंजिलों की संख्या)	26.50 मी. (8 मंजिलें)	26.50 मी. (8 मंजिलें)
	बी.ए.आर	7526.88 व.मी.(एफ.ए.आर)	8399.04 व.मी.
	कुल फ्लैट्स	36 फ्लैट्स प्रति मंजिल (1 बी.एच. के)	144 फ्लैट्स(1बी.के व 2 बी.एच.के)
9.	ब्लॉक सी		
	भू-आच्छादन	1321.59 व.मी.	1255.92 व.मी.
	ऊँचाई (प्रस्तावित मंजिलों की संख्या)	26.50 मी. (8 मंजिलें)	6.6 मी. (2 मंजिलें)
	बी.ए.आर	9505.20 व.मी.(एफ.ए.आर)	2603.16 व.मी. (108.46X24 भूखण्ड)
	कुल फ्लैट्स	26 फ्लैट्स प्रति मंजिल (1 बी.एच. के)	24 भूखण्ड
9	ब्लॉक डी		
	भू-आच्छादन	649.11 व.मी.	699.40 व.मी.
	ऊँचाई (प्रस्तावित मंजिलों की संख्या)	26.50 मी. (8 मंजिलें)	26.50 मी. (8 मंजिलें)
	बी.ए.आर	4567.92 व.मी.(एफ.ए.आर)	5735.68 व.मी.
	कुल फ्लैट्स	22 फ्लैट्स प्रति मंजिल (1 बी.एच. के)	77 फ्लैट्स(2 बी.एच.के)
10.	ब्लॉक ई		
	भू-आच्छादन	953.03 व.मी.	837.28 व.मी.



अविप्र



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



	ऊँचाई (प्रस्तावित मंजिलों की संख्या)	26.50 व.मी. (8 मंजिलें)	6.6 मी. (2 मंजिलें)
	बी.ए.आर	6774.08 व.मी.(एफ.ए.आर)	1735.36 व.मी. (108.46X16 भूखण्ड)
	कुल फ्लैट्स	19 फ्लैट्स प्रति मंजिल (1 वी.एच. के)	16 भूखण्ड
11.	कुल भू-आच्छादन	5591.35 व.मी./ 13602.43 व.मी.= 41.60%	5425.64 व.मी./ 13602.43 व.मी.=39.88 %
12.	लैंडस्केपिंग	2147.34 (15.78%)	2164.17 (15.91%)
13.	व्यवसायिक (प्रस्तावित ब्लॉक ए के भू-तल पर)	लागू नहीं	743.42 व.मी. (बी.ए.आर)
14.	पार्किंग	39710 व.मी.(एफ.ए.आर) 1072 युनिट्स कार पार्किंग = 230 स्कूटर पार्किंग =1155	33286.92 व.मी. (बी.ए.आर) 405 फ्लैट्स एवं 40 भूखण्ड कार पार्किंग = 349 स्कूटर पार्किंग =707
15.	स्टिफ्ट पर सार्वजनिक सुविधायें (फ्लैट्स हेतु)	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	स्टिफ्ट पर व्यावसायिक उपयोग (फ्लैट्स)	लागू नहीं	ब्लॉक ए में प्रस्तावित (743.42 व.मी. बी.ए.आर)
17.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान (हाँ/नहीं)	हाँ (क्षेत्रफल 19775.91 व.मी. में प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.एस, एल.आई.जी. एवं एम.आई.जी)	हाँ (क्षेत्रफल 19775.91 व.मी. में प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.एस, एल.आई.जी. एवं एम.आई.जी)
18.	बिल्डिंग ब्लॉक तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई	18 मी. सड़क 9 मी. सड़क	18 मी. सड़क 9 मी. सड़क
19.	ब्लॉक्स के बीच की दूरी	ऊँचे ब्लॉक की ऊँचाई का 1/4	ऊँचे ब्लॉक की ऊँचाई का 1/4
20.	सार्वजनिक सुविधायें (ग्रुप हाउसिंग हेतु)	गणना योग्य निर्मित क्षेत्र का 2 प्रतिशत या 1500 वर्गमीटर (जो भी कम हो) अधिकतम 5 प्रतिशत	
21.	वणिज्यिक (ग्रुप हाउसिंग हेतु)	क्षेत्रफल 667.64 में प्रस्तावित लोकल शॉप	क्षेत्रफल 667.64 में प्रस्तावित लोकल शॉप
22.	शिक्षा/स्वास्थ्य	लागू नहीं	लागू नहीं
	वाणिज्यिक भवन मिश्रित भू-उपयोग - अधिकतम वाणिज्यिक 50 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र में प्रवेश की व्यवस्था पृथक से हैं अथवा नहीं। - आवासीय उपयोग की पार्किंग की पृथक से व्यवस्था हैं अथवा नहीं।	- प्रवेश की व्यवस्था पृथक से हैं। - पृथक से व्यवस्था है।	- प्रवेश की व्यवस्था पृथक से हैं। - पृथक से व्यवस्था नहीं है।
23.	बहुमंजिला भवन अग्निशमन वाहन हेतु गलियारा - 4.5 मीटर चौड़ा है या नहीं (पार्श्व व पीछे के सेटबैक में 4.5 मीटर चौड़ा रेम्प भी गलियारा माना जा सकता है) - प्रोजेक्शन की ड्राईवे से ऊँचाई	- है - 3.40 मी.	- है - 3.40 मी.



अविप्रा



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अविप्रा



24.	30 मीटर से ऊँचे भवनों में संरचनात्मक सुरक्षा 8.3 (पग)	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	रेम्प	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i) ढाल		
	(ii) अग्र सेटबैक में रेम्प	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	मैकेनिकल पार्किंग	प्रस्तावित है।	लागू नहीं
	(i) प्रस्तावित है या नहीं		प्रस्तावित नहीं
	(ii) यदि हां तो सेटबैक में तो नहीं है। (केवल बेसमेन्ट, भूतल/स्टिल्ट पर देय है)	नहीं है।	प्रस्तावित नहीं
	(iii) भूखण्ड का क्षेत्रफल		लागू नहीं
	(iv) मैकेनिकल पार्किंग का प्रतिशत		लागू नहीं
27.	वर्षा जल संग्रहण का प्रावधान	आवश्यक है। (300 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल)	प्रस्तावित है।
28.	सकल निर्मित क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर से अधिक है	STP आवश्यक है।	
29.	बिन्दु संख्या 8.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा का प्रावधान है या नहीं		
30.	रसोई, कमरा, टॉयलेट आदि की साईज नियमानुसार है अथवा नहीं (9.2)	प्रस्तावित है।	प्रस्तावित है।
31.	संवातन शॉफ्ट की साईज 9.2 (iv) के अनुसार है अथवा नहीं (भवन विनियम 2010 अनुसार)	प्रस्तावित है।	प्रस्तावित है। (मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रस्तावित है।)
32.	यदि रसोई व कमरा की भुजाएँ आन्तरिक कोर्ट यार्ड में खुलती हैं।		
33.	प्लिन्थ:-		
	5000 व.मी. से बड़े भूखण्ड में ड्राईव वे लेवल से	0.4 मी.	0.5 मी.
34.	सीढ़ियों व कॉरीडोर की चौड़ाई 9.4 के अनुसार है अथवा नहीं (भवन विनियम 2010 अनुसार)	प्रस्तावित है।	प्रस्तावित है।
	बेसमेन्ट:-		
	(i) भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. या अधिक	प्रस्तावित नहीं।	प्रस्तावित नहीं।
	(ii) 2000 व.मी. या अधिक	प्रस्तावित नहीं।	प्रस्तावित नहीं।
	(iii) लोअर ग्राउण्ड फ्लोर (2500 व.मी. या अधिक)	नहीं	नहीं
	(iv) क्या भवन की सीमा बेसमेन्ट की सीमा से भिन्न है ?	नहीं	नहीं
	(v) बेसमेन्ट की भूखण्ड सीमा से दूरी	प्रस्तावित नहीं	प्रस्तावित नहीं
	(vi) बहुमंजिले भवनों में बेसमेन्ट में जाने हेतु भिन्न व्यवस्था की है अथवा नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं।
	(vii) बेसमेन्ट में कार्यालय/वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित है।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
35.	स्टिल्ट:-		



अविषा



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अविषा



	(i) निर्धारित सेटबैक छोड़ने के उपरान्त प्राप्त आच्छादित क्षेत्रफल (: में)		
	(ii) प्रस्तावित स्टिल्ट का आच्छादित क्षेत्रफल (: में)	5591.35 व.मी.	5425.64 व.मी.
	(iii) यदि स्टिल्ट का क्षेत्रफल अनुज्ञेय अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल से अधिक हो तो स्टिल्ट के ऊपर लेण्डस्केप प्रस्तावित किया गया है या नहीं	अधिक नहीं है।	अधिक नहीं है।
	(vi) स्टिल्ट का उपयोग	पार्किंग हेतु	पार्किंग हेतु
	(v) स्टिल्ट फ्लोर/ बेसमेन्ट व अन्य मंजिलों पर पार्किंग फ्लोर पर प्रस्तावित अन्य गतिविधियों (सामुदायिक शौचालय व गार्डरूम स्वागत रूम आदि, सामुदायिक सुविधायें, व्यावसायिक उपयोग आदि) का प्रतिशत		
36.	पोर्च:-	प्रस्तावित नहीं	प्रस्तावित नहीं
	(i) पोर्च साईड कहां प्रस्तावित हैं		
	(ii) यदि अग्रसेट बैक में है तो	-	-
	(iii) यदि साईड सेटबैक में हैं तो	-	-
	(iv) पोर्च के ऊपर निर्माण	-	-
	(v) पोर्च की चौड़ाई	-	-
		-	-
	(vi) लम्बाई	-	-
37.	बालकनी:-		
	(i) चौड़ाई- सेटबैक 4.5 मीटर तक	सेटबैक का 1/3 या 1.2 मीटर	प्रस्तावित है।
	-4.5 मी. से अधिक-12 मी. तक		-
	- 12 मीटर से अधिक		-
	(ii) ऊँचाई-	आवश्यक नहीं	लागू नहीं
	(iii) बालकनी को कमरों में लिया गया है अथवा नहीं	नहीं	नहीं
38.	प्रोजेक्शन:-		
	(i) छज्जे की चौड़ाई	प्रस्तावित नहीं	प्रस्तावित नहीं
	(ii) छज्जे की ऊँचाई	-	-
	(iii) लेडिंग की चौड़ाई	-	-
	(iv) लेडिंग की ऊँचाई	-	-
	अग्निशमन गलियारा यदि 4.5 मीटर चौड़ा है तो ऊँचाई की बाध्यता नहीं	-	-
39.	अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र	अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति पत्र दिनांक 10.12.2014 (पत्रावली में संलग्न)	
40.	पर्यावरण प्रमाण-पत्र	अपेक्षित है।	अपेक्षित है।

25



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



	भवन विनियम अनुसार सकल निर्मित योग्य क्षेत्रफल 20000 वर्गमीटर से अधिक होने पर आवश्यक		
41.	एयरपोर्ट ऑथोरिटी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
42.	लिफ्ट	प्रस्तावित है।	प्रस्तावित है।
	जल निकासी, सीवरज व्यवस्था	भवन विनियम अनुसार	भवन मानचित्र जारी करते समय स्वीकृति पत्र में शर्त उल्लेखित की जायेगी।
	सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल व्यवस्था	भवन विनियम अनुसार चिह्नित किया जाना है।	भवन विनियम अनुसार चिह्नित किया जाना है।

प्रकरण का उपरोक्त तकनीकी मापदण्डों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 2011 में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया गया था उक्त अनुमोदित मानचित्र अनुसार विकासकर्ता के आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड के निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा केवल आवासीय भूभाग का सशर्त अनुमोदन दिनांक 02.08.2011 को भवन विनियम 2010 अनुसार किया गया था तथा व्यावसायिक भूखण्ड पर पृथक से भवन विनियम के प्रावधान अनुसार अनुमोदन हेतु आवेदन किया जाना उल्लेखित था आवेदक द्वारा कालान्तर में उक्त भूमि पर निर्माण कर लिया गया एवं संशोधन हेतु प्राधिकरण को दिनांक 19.06.2014 को आवेदन किया गया। प्रेषित भवन मानचित्र में प्रचलित भवन विनियम के अनुसार समस्त मापदण्ड पूर्ण न होने के कारण स्वीकृति नहीं दी गई। उक्त उपरान्त प्रार्थी द्वारा संशोधित मानचित्र प्रेषित किये गये जिसमें पूर्व अनुमोदित मानचित्र के अतिरिक्त निम्न संशोधन प्रस्तावित किये गये।

1. ब्लॉक सी एवं ई जो कि पूर्व में बहुमंजिला इमारत के रूप में अनुमोदित था के स्थान पर जी + 1 फोर्मेट में आवासीय इकाई के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
2. ब्लॉक ए, बी एवं डी में विभिन्न तलों पर प्रस्तावित आवासीय इकाईयों में परिवर्तन प्रस्तावित है। ब्लॉक के अन्य कॉमन एरिया पूर्व अनुमोदित मानचित्र अनुसार ही प्रस्तावित है।

उक्त सम्पूर्ण योजना क्षेत्र में विकासकर्ता द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न श्रेणी यथा - ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, आदि का निर्माण किया जा चुका है, जो कि अनुमोदित मानचित्र अनुसार ही विकसित किया गया तथा उक्त भवनों हेतु प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों को आवंटन भी किया जा चुका है। अतः प्रकरण में पूर्व में अनुमोदित मानचित्र एवं तत्समय लागू भवन विनियम के प्रावधान अनुरूप प्रस्तावित संशोधन का निम्न शर्तों के अध्याधीन अनुमोदन किया गया:-

1. ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित भूखण्ड पर प्रस्तावित ऊँचाई ए, बी एवं डी ब्लॉक में पूर्वानुसार ही प्रस्तावित की गई है। आन्तरिक संरचना के क्रम में विकासकर्ता के द्वारा पर्याप्त वातायन का प्रावधान भवन विनियम में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा।
2. भूखण्ड पर भविष्य में अन्य किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण की स्वीकृति भवन विनियम-2020 अथवा प्रचलित भवन विनियम अजमेर रीजन के प्रावधान अनुसार पृथक से प्राप्त की जानी होगी।
3. एन.बी.सी. (नेशनल बिल्डिंग कोड) के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान किये जाने आवश्यक होंगे तथा उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
4. प्रस्तावित भवन बहुमंजिला श्रेणी का है। अतः भवन विनियम के प्रावधान अनुसार बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु निर्धारित विशिष्ट प्रावधान एवं सुरक्षा सम्बन्धित समस्त प्रावधानों की पालना एनवीसी के अनुसार विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।
5. अफोर्डेबल हाउसिंग पोलिसी व भवन विनियम के प्रावधानों के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी एवं वास्तुविद की होगी।
6. व्यावसायिक क्षेत्र 667.71 वर्गमीटर की पृथक से मानचित्र भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधान अनुसार स्वीकृत करवाने होंगे।



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



7. मौके पर 20,000 वर्गमीटर से अधिक का निर्माण कार्य हो चुका है, अतः प्रकरण में पूर्व में जारी निर्माण स्वीकृति के क्रम में पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा सम्वन्धित विभाग से प्राप्त कर अविप्रा कार्यालय में प्रेषित कर निर्माण सम्वन्धित अग्रिम कार्यवाही की जानी होगी।
8. भवन विनियम के प्रावधान अनुसार निर्धारित समस्त शुल्क विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने के उपरान्त संशोधित भवन मानचित्र अनुसार निर्माण स्वीकृति दी जावेगी।
9. भूखण्ड पर नियमानुसार निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रस्ताव संख्या : 2

रंगोली आशियाना जरिये निदेशक श्री कमलेश मूलचन्दानी एवं श्रीमती अनुराधा द्वारा अपने भूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अतिरिक्त तल के निर्माण के क्रम में निर्माण स्वीकृति चाही गई है, जिसकी पत्रावली अवलोकनार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय:-समिति के समक्ष प्रस्तुत पत्रावली पर विचार विमर्श कर सर्वसहमति से निर्णय लिया गया की प्रश्नगत भूमि पर विद्यमान निर्माण की जांच एवं प्रस्तावित अतिरिक्त निर्माण की भवन विनियम अनुसार अनुज्ञेयता के सम्वन्ध में निदेशक आयोजना एवं निदेशक विधि अध्ययन कर आगामी भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

यह बैठक कार्यवाही विवरण श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित है।

(पुनीत शर्मा)

निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

क्रमांक : अ.वि.प्रा./प.3/नि.शा/2021/407-411

दिनांक : 24/08/2021

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण/किशनगढ़/पुष्कर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

(मीनाक्षी वर्मा)

उपनगर नियोजक
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।